न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 110 / 2022

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. लक्ष्मणराम पुत्र गुणाराम 2. बाबुलाल पुत्र गुणाराम जातियान— जाट, निवासीयान— आलावास, तहसील— सोजत, जिला— पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 27/09/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा आलावास पटवार हल्का अलावास भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत के वर्तमान खाता नंबर 127 के खसरा नंबर 150, 151, 168, 169, 170, 172, 178 कुल खसरा 07 कुल रकबा 16.8200 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराराम जाति जाट व अन्य सह—खातेदारान की आई हुई स्थित है, जिसमें वादीगण के पिता का 01/16 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का दर्ज है। राजस्व रेकर्ड में गुणाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर त्रुटिवंश गणेशराम पुत्र अमराराम दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम आलावास के नए खसरा नंबर 69 के खसरा नंबर 284 रकबा 1.4900 हैक्टर की कृषि भूमि वादीगण स्वयं एवं वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराजी व अन्य सह खातेदारान की आई हुई स्थित है। जिसमें वादीगण प्रत्येक का 01/06—01/06 हक हिस्सा दर्ज है तथा 01/03 हक हिस्सा वादीगण के पिता का निहित है। जिनका राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवंश गुटाराम पुत्र हीराजी नाम दर्ज है। शेष 01/03 हक हिस्सा सह खातेदार चिमनाराम का दर्ज है। वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक, पुश्तैनी विरासत में प्राप्त कृषि भूमि है, वादरस्थ भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वक्त सेटलमेंट वादीगण के दादा हीराराम का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराराम का दस्तावेजी नाम अंकित नही कर, दस्तावेज का अवलोकन किए बिना गणेशराम पुत्र अमराराम व गुणाराम के स्थान पर गुटाराम पुत्र हीरा त्रुटिवंश इन्द्राज कर दिया गया। वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराराम का दिनांक 29.03.2019 को स्वर्गवास हो चुका है। जिनके स्वर्गवास पश्चात उनके उतराधिकारी वारिसान में पत्नी पानकी देवी एवं दो पुत्र वादीगण एवं एक पुत्री भोली बाई हुई जिसमें पत्नी पानकी देवी एवं पुत्री भोली देवी ने वादीगण के पक्ष में अपना हक हिस्सा हकतर्क कर दिया, जिससे उपरोक्त कृषि भूमि में गुणाराम जी के हक हिस्से की भूमि पर वादीगण ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वर्तमान में वादीगण द्वारा अपने पिता का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात फौतेदगी नामामन्तरण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

एवं हकतर्कमाना के जरिए नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु संबंधित पटवारी हल्का से दिनांक 15.07.2022 को संपर्क करने पर उपरोक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराराम का नाम दर्ज नहीं कर गणेशराम पुत्र अमराराम एवं गुटाराम पुत्र हीराजी दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर वादीगण के द्वारा वादस्थ कृषि भूमि के पुराने राजस्व रेकर्ड एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि वादीगण के दादा का स्वर्गवास होने से राजस्व कर्मचारियों के द्वारा वादस्थ भूमि के रेकर्ड में वादीगण के पिता का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम गुणाराम पुत्र हीराराम दर्ज नहीं कर त्रुटिवश गणेशराम पुत्र अमराराम एवं गुटाराम पुत्र हीराजी दर्ज कर दिया। जबकि वादीगण के पिता गुणाराम को घर परिवार, समाज में गणेशराम पुत्र अमराराम के नाम से भी लाड प्यार से पुकारते पहचानते थे अर्थात् गणेशराम पुत्र अमराराम, गुटाराम पुत्र हीराजी दोनो ही नाम वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराजी के ही है दोनो एक ही व्यक्ति है। इस नाम का गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा वादीगण के पिता के अन्य तमाम सरकारी अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में भी गुणाराम पुत्र हीराराम ही दर्ज सुदा है तथा वादस्थ भूमि के खसरा नंबर 284 में स्वयं वादीगण खातेदार काश्तकार है। जिनकी वल्दीयत में भी गुणाराम ही दर्ज सुदा है तथा स्वयं वादीगण के पिता गुणाराम की वल्दीयत भी हीराजी दर्ज है तथा ग्राम पंचायत रेन्दड़ी के द्वारा दिनांक 09.10.2021 को जारी प्रमाण पत्र में भी यह प्रमाणित माना है कि वादीगण के पिता गुणाराम पुत्र हीराजी ही सही दस्तावेजी नाम है तथा उपरोक्त कृषि भूमि का भी उल्लेख किया है जिसमें गणेशराम पुत्र अमराराम व गुटाराम पुत्र हीराराम नाम त्रुटिवश गलत बताया है। जिससे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का वास्तविक एवं दस्तावेजी सही नाम गुणाराम पुत्र हीराराम ही है। वादीगण द्वारा उक्त त्रुटि के संबंध में तहसीलदार महोदय सोजत को निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा श्रीमान न्यायालय द्वारा आदेश की पालना के अभाव में उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से इंकार कर दिया इसलिए वादीगण वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज गणेशराम पुत्र अमराराम व गुटाराम पुत्र हीराजी के स्थान पर गुणाराम पुत्र हीराजी से रेकर्ड दुरूस्त करवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। अतः वाद विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम अंकित नहीं होने के कारण से वादीगण को कई सरकारी/गैर सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड रहा है। वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता का नाम दुरस्त किए जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा। इसलिए उन्हे आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस प्रकार अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा ग्राम आलावास पटवार हल्का आलावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत के वर्तमान खातो नंबर 127 के खसरा नंबर 150, 151, 168, 169, 170, 172, 178 कुल खसरा 07 कुल रकबा 16.8200 हैक्टर में वादीगण के पिता का 01/16 हक हिस्सा एवं इसी प्रकार ग्राम आलावास के नए खाता नंबर 69 के खसरा नंबर 284 रकबा 1.4900 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक का 01/06–01/06 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का दर्ज 01/03 हक हिस्से में राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र अमराराम, गुटाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर गुणाराम पुत्र हीराजी दुरस्त करवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

पेश कर निवेदन किया कि पैरा सख्या 01 मे विवेचित कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम आलावास तहसील सोजत में आई हुई स्थित है। पैरा संख्या 2,3, 4,5,6,7 वादी स्वंय सिद्ध करे तथा पैरा संख्या 8 से 10 कानूनी होना अंकित किया है।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज फोटो प्रति ग्राम पंचायत रेन्दड़ी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.10.2021, फोटो प्रति हकतर्कनामा 13.01.2021, प्रमाणित प्रति वादस्थ भूमि के खसरा मिलान की, प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत् 2029 से 2032, प्रमाणित प्रति वर्तमान जमाबंदी पेश की। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम आलावास पटवार हल्का आलावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत के वर्तमान खाते नंबर 127 के खसरा नंबर 150, 151, 168, 169, 170, 172, 178 कुल खसरा 07 कुल रकबा 16.8200 हैक्टर में वादीगण के पिता का 01/16 हक हिस्सा एवं इसी प्रकार ग्राम आलावास के नए खाता नंबर 69 के खसरा नंबर 284 रकबा 1. 4900 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक का 01/06–01/06 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का दर्ज 01/03 हक हिस्से में राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र अमराराम, गुटाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर गुणाराम पुत्र हीराजी दुरस्त करवा कर अपने नाम की खातेदारी घोषणा करवाने की ईस्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादीगण तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्य पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 13.01.2021 हकर्तक नामा, ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 09.10. 2021 की में भी वादी की वल्दियत गुणाराम पुत्र हीराजी अंकित किया है। अन्य राजस्व रेकर्ड खाता संख्या 69 सरहद मौजा आलावास में वादी के पिता की वल्दियत गुणाराम दर्ज है। खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 284 में वादी के पिता का नाम गुणाराम तथा सह खातेदार में गुटाराम पुत्र हिाजी दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत रेन्दडी द्वारा भी गुणाराम पुत्र हीराजी तथा गुटाराम पुत्र हिराराम एक ही व्यक्ति होना अंकित किया है। वस्तुतः वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वादी के पिता व दादा का नाम गुणाराम पुत्र हिराजी होने की सम्पुष्टि होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा ग्राम आलावास पटवार हल्का आलावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत के वर्तमान खातो नंबर 127 के खसरा नंबर 150, 151, 168, 169, 170, 172, 178 कुल खसरा 07 कुल रकबा 16.8200 हैक्टर में वादीगण के पिता का 01/16 हक हिस्सा एवं ग्राम आलावास के नए खाता नंबर 69 के खसरा नंबर 284 रकबा 1.4900 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक का 01/06–01/06 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का दर्ज 01/03 हक हिस्से में राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र अमराराम, गुटाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर गुणाराम पुत्र हीराजी दुरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार–काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सोजत (राज.)

-: आदेश :-

अतः माफिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर सादिर की जाती है कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम आलावास पटवार हल्का आलावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड तहसील सोजत के वर्तमान खाता नंबर 127 के खसरा नंबर 150, 151, 168, 169, 170, 172, 178 कुल खसरा 07 कुल रकबा 16.8200 हैक्टर में वादीगण के पिता का 01/16 हक हिस्सा एवं ग्राम आलावास के नए खाता नंबर 69 के खसरा नंबर 284 रकबा 1.4900 हैक्टर में वादीगण प्रत्येक का 01/06–01/06 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का दर्ज 01/03 हक हिस्से में राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र अमराराम, गुटाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर गुणाराम पुत्र हीराजी दुरस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 22/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सोजत (राज.)